HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांक : प.7(7)एचजेयू/प.नि./परीक्षा/2020/8843-51 दिनांक : 15-7-21

आदेश

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(7) /शिक्षा-4/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.07.2021 के अनुसरण में विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों के आधार पर सत्र 2020-21 की लंबित परीक्षाओं के संबंध में कार्य-योजना निम्नानुसार होगी:

(i) बीए – जेएमसी प्रथम सैमेस्टर के विद्यार्थियों को द्वितीय सैमेस्टर में प्रोन्नत किया जाए। एतदर्थ आंतरिक परीक्षा के 30 में से प्राप्तांक तो उपलब्ध हैं। शेष 70 अंकों में 30 अंक पुनः आंतरिक परीक्षा के प्राप्तांक से, 20 अंक सीनियर सैकंडरी के प्राप्तांकों के औसत और 20 अंक सैकंडरी के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर अंक देकर अंकतालिका जारी की जाएं।

(ii) बीए – जेएमसी द्वितीय सैमेस्टर के विद्यार्थियों की दिनांक 08.10. 2021से ऑफ़लाइन परीक्षाएँ ली जाएं।

(iii) एमए – जेएमसी प्रथम सैमेस्टर के विद्यार्थियों की दिनांक 17.08.2021 से 23.08.2021 ऑफलाइन परीक्षाएँ ली जाएं। दिनांक 10.08.2021 से 16.08.2021 इनकी प्रथम सैमेस्टर की रिविजन कक्षाएँ आयोजित करवाई जाएं।

(iv) एमए – जेएमसी द्वितीय सैमेस्टर के विद्यार्थियों की दिनांक 09.11.2021 से ऑफ़लाइन परीक्षाएँ ली जाएं।

(v) एमए – जेएमसी चतुर्थ सैमेस्टर के विद्यार्थियों की दिनांक 08.10.2021 से ऑफ़लाइन परीक्षाएँ करवाई जाएं।

(vi) विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, कार्यरत प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का राज्य सरकार के संबंधित स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अतिशीघ्र टीकाकरण सम्पन्न करवाया जाए। सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा तदनुरूप उचित कार्रवाई तुरन्त प्रभाव से अमल में लाई जाए।

(vii) जिन प्रश्न – पत्रों में यूनिट / इकाई तथा अथवा / OR की बाध्यता है, उसको हटाते हुए परीक्षाएँ आयोजित करवानी है।

(viii) इन परीक्षाओं में 2:00 घंटे की परीक्षा अवधि होगी, जिसमें प्रश्न पत्र के प्रथम खंड को अनिवार्य रखते हुए द्वितीय खंड में 7 में से 4 के बजाय 2 ही प्रश्न हल करने होंगे।

(ix) कोविड – 19 से संक्रमित परीक्षार्थी, यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो उसे परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अशोक कुमार शर्मा)
आरएएस
कुलसचिव

क्रमांक : प.7(7)एचजेयू/प.नि./परीक्षा/2020 / 8843-51
दिनांक : 15-07-2021

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
3. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर
4. परीक्षा नियंत्रक/आकादमिक समन्वयक, एचजेयू, जयपुर
5. उप कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।
6. निदेशक, शैक्षणिक परिसर/ संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय, एचजेयू, जयपुर
7. संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय, एचजेयू, जयपुर
8. सहायक कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिंदु (vi) पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव